2019/00198

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री रामलाल पुत्र श्री धुडाराम जाति जटिया निवासी जटियावास, सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही		लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 23 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.09.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 8.5.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि शहरी क्षेत्र निवासी को वृद्धावस्था पेंशन जारी करने के संबंध में सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 8.5.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि शहरी क्षेत्र निवासी को वृद्धावस्था पेंशन जारी करने के संबंध में सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपखंड अधिकारी द्वारा अपीलांट को पत्र संख्या 41 दिनांक 4.6.2019 जारी कर दिया है। जिसकी पालना अपीलांट द्वारा नही कि गई है। अतः अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि भीखाराम एवं श्रीमती गीता जटिया निवासी सिरोही के पेंशन स्वीकृती आदेश कमांक एवं दिनांक सहित उपखंड अधिकारी सिरोही को सूचित करे। उपखंड अधिकारी सिरोही उक्त सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त सूचना अपीलांट को उपलब्ध करावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner